न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल,जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनिता मीणा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 08 / 2023 पुराना, 392 / 23 नया दायर तारीख :– 21.02.2023

1. भीवाराम पुत्र माला जाति जाट निवासी जूनसिया तह0 कि0 रेनवाल

वादी

बनाम

1. केसरी पत्नी नानगा
2. जयराम पुत्र नानगा
3. मूलचन्द पुत्र नानगा
4. मांगीलाल पुत्र नानगा
5. शिशपाल पुत्र गोविन्दा
6. सिणगारी देवी पत्नी गोविन्दा
7. हनुमान पुत्र गोविन्दा
   समस्त जाति जाट निवासी जूनसिया तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0
8. एचडीएफसी बैंक लि0 चौमू जरिये प्रबंधक
9. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कि0 रेनवाल जरिये प्रबन्धक
10. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भैसावा जरिये प्रबन्धक
11. देना बैंक शाखा बधाल जरिये प्रबन्धक
12. तहसीलदार तह0 कि0 रेनवाल।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री लोकेश शर्मा, अधिवक्ता वादी

निर्णय

निर्णय दिनांक 18/6/25

1. वादी अधिवक्ता ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगांयत 07 की सयुंक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 1.3530 हैक्टैयर व खसरा नम्बर 65 रकबा 4.8177 हैक्टैयर किता दो कुल रकबा 6.1707 हैक्टैयर वाके ग्राम जूनसिया पटवार हल्का लालासर भू0अ0नि0 क्षेत्र बाघावास तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है। शेष खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 ल0 07 की खातेदारी की खातेतदारी में राजस्व में रिकोर्ड में जमाबन्दी में दर्ज चली आ रही है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात का विधिक रूप से विभाजन नही हो रखा है। परन्तु वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 7 के मध्य मौखिक रूप से पारस्परिक सहमति से मनबट के आधार पर विभाजन हो रखा है। जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ल0 07 अपने अपने हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। परन्तु वादग्रस्त आराजी का वैधानिक रूप से विभाजन नहीं होने से पक्षकारान को अपने अपने हिस्सो को उन्नत व विकसित करने में व्यवधान उत्पन्न होता है एंव पक्षकारान अपने हिस्से को सही रूप से उन्नत व विकसित नहीं कर पाते है। प्रतिवादीगण विवादग्रस्त आराजी का बिना विधिक विभाजन करवाये मनचाही जगह से भूमि का बेचान करने पर आमदा है। इसी आशयक से प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 7 वादग्रस्त आराजी पर कुछ अजनबी व्यक्तियों को दिनांक 11.02.2023 को लेकर आये और वादग्रस्त भूमि में सीवडोल को लेकर वाद विवाद करने लग गये तथा वादी बेदखल करने की धमकी दी जिस पर विधिक रूप से विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।
2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं0 01,2,3,4, बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ-रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 8,9,10,11,12 फार्मल पार्टी है। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 की जवाब दावा मय काउन्टर कलेम पेश किया गया है। जिसके जवाब में वकील वादी के द्वारा जवाब पेश किया गया है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 की ओर अधिवक्ता को कई अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है व वकील प्रतिवादी संख्या 05 ल0 07 का जवाब मय काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जाता है। वकील वादी ने वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2075–78 प्रदर्श–पी1 व खसरा नम्बर 64 का नक्शा प्रदर्श–पी 2, खसरा नम्बर 65 प्रदर्श पी 3 पेश किया है। गवाह में वादी भीवाराम का शपथ पत्र पेश किया गया व बयान लेखबद्ध किये गये

4. प्रकरण दिनांक 09.05.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार किशनगढ रेनवाल से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।

5. बहस वकील वादी व पैरोकार सरकार को सुना गया।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। दौराने बहस वकील वादी की ओर से नक्शें कुरेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शें कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एंव नक्शें कुरेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादीगण का वाद मुताबिक नक्शें कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। इसी अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिकी किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को पांबद किया जाता है कि विभाजन अनुसार वादी को प्राप्त आराजीयात् में वादी के उपयोग–उपभोग में कोई दखल अंदाजी नहीं करे।
वाकै ग्राम जूनसिया तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	जयराम पुत्र नानगा हि 1/4 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बधाल मूलचन्द पुत्र नानगा हि 1/4 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भैसावा मांगीलाल पुत्र नानगा हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार	64/1 रकबा 0.0600 हैक्टेयर 64/6 रकबा 0.2270 हैक्टेयर 65/7 रकबा 1.6940 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.9810 हैक्टेयर
2	भीवा पुत्र माला जाति राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कि0 रेनवाल	64/3 रकबा 0.0600 हैक्टेयर 64/4 रकबा 0.0240 हैक्टेयर 65/3 रकबा 0.9500 हैक्टेयर 65/5 रकबा 0.3900 हैक्टेयर 65/8 रकबा 0.5570 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.9810 हैक्टेयर
3	शिशपाल पुत्र गोविन्दा हिस्सा 1/3 राहिन देना बैंक शाखा बधाल हनुमान पुत्र गोविन्दा हिस्सा 1/3 राहिन देना बैंक	64/5 रकबा 0.9720 हैक्टेयर 65/2 रकबा 0.6400 हैक्टेयर 65/6 रकबा 0.0200 हैक्टेयर 65/9 रकबा 0.3490 हैक्टेयर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

	शाखा बधाल सिणगारी देवी पत्नी गोविन्दा हिस्सा 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार	कुल किता 4 कुल रकबा 1.9810 हैक्टेयर
4.	जयराम पुत्र नानगा हि0 1/12 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बधाल , मूलचन्द पुत्र नानगा हि0 1/12 राहिन स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भैसावा भीवा पुत्र माला हि0 1/3 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कि0 रेनवाल शिशपाल पुत्र गोविन्दा हि0 1/9 राहिन देना बैंक शाखा बधाल केसरी पत्नी नानगा हि0 1/12 मांगीलाल पुत्र नानगा हि0 1/12 सिणगारी देवी पत्नी गोविन्दा हि0 1/9 जाति जाट सा0 देह खातेदार	64/2 रकबा 0.0100 हैक्टेयर 65/1 रकबा 0.1277 हैक्टेयर 65/4 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.2277 हैक्टेयर

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18/6/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़-रेनवाल

(सुनिता मीणा)आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल
किशनगढ रेनवाल

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल

बइजलास :— सुनीता मीणा आर.ए.एस.

1. भीवाराम पुत्र माला जाति जाट निवासी जूनसिया तह0 कि0 रेनवाल

वादी

बनाम

1. केसरी पत्नी नानगा
2. जयराम पुत्र नानगा
3. मूलचन्द पुत्र नानगा
4. मांगीलाल पुत्र नानगा
5. शिशपाल पुत्र गोविन्दा
6. सिणगारी देवी पत्नी गोविन्दा
7. हनुमान पुत्र गोविन्दा
   समस्त जाति जाट निवासी जूनसिया तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0
8. एचडीएफसी बैंक लि0 चौमू जरिये प्रबंधक
9. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कि0 रेनवाल जरिये प्रबन्धक
10. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भैसावा जरिये प्रबन्धक
11. देना बैंक शाखा बधाल जरिये प्रबन्धक
12. तहसीलदार तह0 कि0 रेनवाल।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या :— 08/2023 पुराना, 392/23 नया

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री लोकेश कुमार शर्मा मिनजानिब मुद्दई .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाकै ग्राम जूनसिया तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित शामलात भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का भाग रहेगा

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	जयराम पुत्र नानगा हि 1/4 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बधाल मूलचन्द पुत्र नानगा हि 1/4 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भैसावा मांगीलाल पुत्र नानगा हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार	64/1 रकबा 0.0600 हैक्टेयर 64/6 रकबा 0.2270 हैक्टेयर 65/7 रकबा 1.6940 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.9810 हैक्टेयर
2	भीवा पुत्र माला जाति राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कि0 रेनवाल	64/3 रकबा 0.0600 हैक्टेयर 64/4 रकबा 0.0240 हैक्टेयर 65/3 रकबा 0.9500 हैक्टेयर 65/5 रकबा 0.3900 हैक्टेयर 65/8 रकबा 0.5570 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.9810 हैक्टेयर
3	शिशपाल पुत्र गोविन्दा हिस्सा 1/3 राहिन देना बैंक शाखा बधाल हनुमान पुत्र गोविन्दा	64/5 रकबा 0.9720 हैक्टेयर 65/2 रकबा 0.6400 हैक्टेयर 65/6 रकबा 0.0200 हैक्टेयर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

	हिस्सा 1/3 राहिन देना बैंक शाखा बधाल सिणगारी देवी पत्नी गोविन्दा हिस्सा 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार	65/9 रकबा 0.3490 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.9810 हैक्टेयर
4.	जयराम पुत्र नानगा हि0 1/12 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बधाल, मूलचन्द पुत्र नानगा हि0 1/12 राहिन स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भैसावा भीवा पुत्र माला हि0 1/3 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कि0 रेनवाल शिशपाल पुत्र गोविन्दा हि0 1/9 राहिन देना बैंक शाखा बधाल केसरी पत्नी नानगा हि0 1/12 मांगीलाल पुत्र नानगा हि0 1/12 सिणगारी देवी पत्नी गोविन्दा हि0 1/9 जाति जाट सा0 देह खातेदार	64/2 रकबा 0.0100 हैक्टेयर 65/1 रकबा 0.1277 हैक्टेयर 65/4 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.2277 हैक्टेयर

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिकी तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 10/6/20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनिता मीणा) आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ-रेनवाल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल